नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक..........181689

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 47 दिनांक 08/04/2021

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र

(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
630	ए0एल0–18619	2004-2005

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि .... प्रीति समिति ,

...9डी..मोतीलाल..नेहरू..रोड,..प्रयागराज...को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 720 / 2004–05 दिनांक 04-09-2004 को दिनांक

04-09-2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

..........2000..........................रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक...........31-03-2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी0 / आफसेट)।

संशोधित नियमावली

संस्था का नाम : प्रीति समिति

संस्था का पता : ९ जी, मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद

संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

संस्था के उद्देश्य

1. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :– प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो उम्र से बालिग हो संस्था के आस्था व विश्वास रखता हो, संस्था के अध्यक्ष अथवा महासचिव द्वारा संस्था का सदस्य बनाया जा सकता है, संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य होगें ।

2. संस्थापक सदस्य – इस संस्था की संस्थापना जिन व्यक्तियों द्वारा की जा रही है वे इस संस्था के आजीवन संस्थापक होगें ।

3. आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति इस संस्था को 3000/– रूपयें नकद एवं एक मुश्त में देंगे व इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें । संस्थापक सदस्यों के अतिरिक्त आजीवन सदस्य 3000/– रूपयें देकर बनाये जायेगें ।

4. सामान्य सदस्य – जो व्यक्ति संस्था को 200/– वार्षिक चन्दा प्रतिवर्ष जनवरी माह में देंगें वे इसके सामान्य सदस्य होगें ।

5. विशेष सहयोगी सदस्य – जो व्यक्ति संस्था को विशेष सहयोग देंगें उन्हें संस्थापक सदस्यों द्वारा प्रबन्धसमिति के लिए नियुक्त किया जा सकता है । विशेष सदस्यों की सदस्यता निःशुल्क होगी परन्तु उन्हें प्रबन्धसमिति के लिए लिया जाता है तो जबतक वे प्रबन्धसमिति में रहेगें 50/– रूपया सालाना प्रत्येक वर्ष की अप्रैल माह में देते रहेगें ।

6. सदस्यता की समाप्ति :–

(क) संस्थापक व आजीवन सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति, मृत्यु व स्वतः त्याग पत्र पर समाप्त होगी । यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देते है तो उनका त्याग पत्र स्वीकार करने का अधिकार शेष संस्थापक सदस्यों की पूर्ण संस्तुति पर ही साधारण सभा प्रबन्धसमिति के दो तिहाई बहुमत में निहित होगा ।

(ख) सामान्य सदस्यों व विशेष सहयोगी सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति शुल्क नियमित न देने पर, बिना सूचना के तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, त्याग पत्र देने, संस्था विरोधी कार्य करने, 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर कर दी जायेगी ।

6 संस्था के अंग –

(अ) साधारण सभा

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा –

(अ) गठन– सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा होगी ।

(ब) बैठकें– सामान्य व विशेष– साधारणतया सभा की साल मे एक विशेष आवश्यकतानुसार बैठक बुलायी जायेगी ।

(स) सूचना अवधि – साधारण सभा की सामान्य व विशेष बैठकें क्रमशः 15 व 7 दिन की सूचना पर बुलायी जाएगीं ।

(द) गणपूर्ति – कुल सदस्यों की 2/3 गणपूर्ति होगी ।

(य) विशेष अधिवेशन की तिथि आदि – संस्था प्रतिवर्ष सत्र की समाप्ति पर अपना विशेष वार्षिक अधिवेशन कर बहुमत से अध्यक्ष तय करेगा ।

(र) साधारण सभा के कार्य – प्रबन्धकारिणीसमिति का चुनाव करना संस्था के नियमों, विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन स्वीकार कर वार्षिक कर, वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना ।

8. प्रबन्धकारिणी समिति –

(अ) गठन – साधारण सभा अपने सदस्यों में से प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करेगी । जिसमें निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यों सहित कुल संख्या वर्तमान में 7 होगी ।

1– अध्यक्ष – एक

2– उपाध्यक्ष– एक

3– महासचिव – एक

4– कोषाध्यक्ष – एक

5– शेष कार्यकारिणी सदस्य – तीन

प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्य 4 आजीवन अथवा विशेष मनोनीत सदस्यों में से 8 तथा एक सामान्य सदस्यों में से एक प्रतिनिधि चुना जायेगा । यदि प्रबन्धसमिति के सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाती है तो सदस्यों के प्रतिनिधित्व का अनुपात बढ़ाया जायेगा।

(ब) बैठकें :– सामान्य विशेष प्रबन्धकारिणी समिति की साल में चार व विशेष आवश्यकतानुसार बैठकें बुलायी जायेगी । बैठकें अध्यक्ष की अनुमति पर महासचिव बुलायेगा ।

(स) सूचना अवधि – प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठकों की सूचनाएं 7 दिन व विशेष की 24 घन्टे पूर्व दी जायेगी ।

(द) गणपूर्ति – कुल सदस्यों की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति होगी ।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति – प्रबन्धकारिणी समिति में हुए आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति शेष प्रबन्धसमिति के सदस्यों के 2/3 बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी ।

(र) प्रबन्धसमिति के कार्य व अधिकार –

1. समिति के उद्देश्य पूर्ति हेतु कार्य करना ।

2. समस्त प्रकार के अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के प्रबन्ध द्वारा किया जा सकेगा ।

3. वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

4. नियम/उपनियम बनाना ।

5 किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपसमिति का गठन करना ।

(ज) कार्यकाल — संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य —

(अ) अध्यक्ष — यह इस समिति व इसके द्वारा संचालित सभी सदस्यों का मुख्य नियंत्रण पदाधिकारी होगा । समस्त प्रकार की आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करेगा । किसी विषय पर बराबर मत आने पर अपने विशेष मत का प्रयोग कर अन्तिम निर्णय देगा ।

(ब) उपाध्यक्ष — अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन उपाध्यक्ष कर सकते है ।

(स) महासचिव — इस समिति व इसके द्वारा संचालित केन्द्रों व संस्थाओं पर मुख्य संचालक महासचिव/प्रबंधक होगा । उनके लिए वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति व निष्कासन एवं निलम्बन आदि के निर्णय लेना, आवश्यकतानुसार संस्था की चल/अचल सम्पत्ति विषयक अनुबन्धों, दस्तावेजो पर शर्तनामा संस्था के प्रधान की हैसियत से हस्ताक्षर करना । संस्था के समस्त प्रकार के रिकार्ड व रजिस्टर बनाना, संस्था के कार्य सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार करना, संस्था का प्रतिनिधित्व सरकारी व गैरसरकारी कार्यालयों मे करना व उनकी प्रतियों पर हस्ताक्षर करना । संस्था के लिए समस्त प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को महासचिव द्वारा ही लिया जायेगा ।

(स–1) संस्था की समस्त चल/अचल सम्पत्ति को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में संस्था के हित में बंधक कर ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर/निष्पादन करना तथा बैंक में संस्था की सम्पत्ति बंधक रखना/छुड़ाना एवं संस्था की चल/अचल सम्पत्ति को किसी संस्था/ट्रस्ट या–व्यक्ति से परस्पर दान प्राप्त करने व [redacted] दान करने के लिए अधिकृत होगा। यह सभी अधिकार महासचिव/प्रबन्धक के पास होगा ।

(द) यह इस समिति के आय–व्यय सम्बन्धी समस्त हिसाब–किताब रखेगा । संस्था का कोष संचालन में हस्ताक्षर अध्यक्ष के साथ महासचिव व कोषाध्यक्ष करेगा । यह संस्था के बिलों, वाउचरों का भुगतान महासचिव के आने पर करेगा ।

10 निर्णय — संस्था की मीटिंग के समस्त निर्णय बहुमत द्वारा समान होने पर अध्यक्ष को न्यायिक मत देने का अधिकार होगा ।

11. एकाउन्ट व आडिट — संस्था का हिसाब किसी बैंक में रखा जायेगा । बैंक से जमा निकालने व जमा करने का अधिकार कार्यकारिणी के अध्यक्ष के साथ महासचिव के साथ हो सकेगा । आवश्यकतानुसार संयुक्त हस्ताक्षर से भी एकाउन्ट का संचालन हो सकेगा ।

सत्य प्रति

12 नियमों में परिवर्तन या संशोधन –

(क) समिति अपने नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कुल सदस्यों के 3/4 की उपस्थिति एवं साधारण सभा की अनुमति से कर सकता है ।

(ख) साधारण सभा को अपने सारे नियमों को बनाने का अधिकार होगा, कोई नियम समिति के उद्देश्य के प्रतिकूल नहीं होगा ।

12(1) महाविद्यालय की प्रबन्धसमिति का गठन विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा–11.05 के उपबन्धों के अनुरूप होगा ।

13. संस्था का सामूहिक दायित्व – संस्था किसी संस्थान एवं बोर्ड/आयोग/बैंक अथवा वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के पक्ष में संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा सम्पत्ति का सम्यक बंधक करना होगा एवं लिये गये ऋण का उत्तरदायित्व संस्था के प्रत्येक सदस्य पर सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से होगा चाहे वे संस्था में रहे अथवा न रहे । वह दायित्व तब तक रहेगा जबतक लिये गये सम्पूर्ण ऋण की अदायगी न हो जाये ।

संस्था का विघटन – संस्था का विघटन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के धारा 13 व 14 के अनुसार होगा ।

दिनांक सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

संशोधित स्मृति पत्र

संस्था का नाम : प्रीति समिति

संस्था का पता : 9 डी, मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद

संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

संस्था के उद्देश्य

1. भारतीय जनता में सामाजिक, नैतिक सांस्कृतिक, रचनात्मक, कलात्मक, चारित्रिक एवं शैक्षिक उन्नति का प्रचार व प्रसार करना ताकि आम जीवन सुखमय हो सके तथा सुदूर ग्राम अंचलों में जहां लोग मनुष्य होते हुए भी पशुवत जीवन जी रहे है उन्हें स्वावलम्बी, वैचारिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रेरित करना ।

2. ग्राम्य बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए गांधी विचारधारा के अनुसार खादी ग्रामोद्योग कमीशन व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं अन्य सरकारी, गैर सरकारी संस्था के सहयोग से ग्रामोद्योग धन्धों का प्रशिक्षण केन्द्र चलवाना ।

3. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निराश्रित महिला, बाल कल्याण केन्द्रों, नारी निकेतन, शिल्प कला केन्द्रों, कन्या विद्यालय व कन्या छात्रावास, बालक–बालिका विद्यालय व छात्रावास, महिला सिलाई कढ़ाई केन्द्र, दहेज प्रथा उन्मूलन व दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को हर सम्भव आर्थिक व कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वृक्षारोपण, वृद्धा पोषण गृह, ग्राम पोषण गृह, अनाथालय, वाचनालय, पुस्तकालय, उच्च शिक्षा हेतु बाल–बालिकाओं हेतु डिग्री कालेजों व छात्रावासों की स्थापना करना व करवाना ।

4. मानव संसाधन विकास व समाज कल्याण विभाग द्वारा जनहित को ध्यान में रखकर मद्यनिषेध, दीनहीन निर्धन, विकलांगों, विधवाओं को सभी प्रकार की सरकारी व अर्ध सरकारी योजनाओं केन्द्रीय शासन व प्रादेशिक शासन द्वारा उपलब्ध कराना तथा दान, गुप्तदान व चल–अचल सम्पत्तियों का रख रखाव कर भली भाति क्रियान्वयन करना । स्वास्थ्यहित को ध्यान में रखकर, अस्वस्थ्य लोगों, नशा खोरों, गर्भवती महिलाओं, को व विकलांगों को स्वास्थ्य लाभ हेतु निशुल्क अस्पताल खुलवाना तथा उसका रख–रखाव व सुचारू रूप से चलवाना ।

5. दलित व पिछडे वर्ग के पुरूष, महिला एवं बच्चों के जीवन में हर एक प्रकार की कठिनाईयों का अपने स्तर से निस्तारण करना, करवाना व सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणों से समाज में प्रवलतम भागीदारी दिलवाना । समाज के वृद्धों को पेंशन व नेत्र लाभ से लाभान्वित करवाना, सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत पुराने कुओं, तालाबों का नवीनीकरण व कुओं आदि के साथ ही साथ बाढ़ राहत इत्यादि का कार्य कराना ।

6. अनेकानेक महापुरूषो के अनेकानेक विचारधाराओं के अन्तर्गत समाज में साहित्य दर्शन व साहित्यबोध करना व करवाना । दैवी प्राकृतिक व अप्राकृतिक आपदा में देश हित को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के सहयोग व कार्यक्रम चलाना । मजदूरों, कारीगरों, काष्ठ शिल्पकारों, लौह शिल्पकारों, कुम्भकारों, स्वर्णकारों आदि को प्रोत्साहित करना, करवाना व प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन, प्रवन्धन व रख रखाव करना व करवाना ।

7. टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रकार के टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन के साथ छात्रावासों का भी प्रबन्धन करना ।

8. समाज के आर्थिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक उत्थान के साथ जुटना तथा पिछड़े वर्गों व दलितों आदिवासियों के विकास हेतु व्यवस्था करना । देश के ग्राम एवं नगरों में वैज्ञानिक कृषि, औद्योगिक तकनीकी, सांस्कृतिक रचनात्मक अनुसंधान केन्द्र, आधुनिक प्रौद्योगिकी, स्वदेशी विज्ञान एवं तकनीकी, सम्पूर्ण रसायन व प्राकृतिक संसाधन का उपयोग व कार्य, पर्यावरण, एनर्जी सेक्टर, पर्यावरण सम्वर्द्धन, खाद्य एवं फल प्रसंस्करण, भूमि सरक्षण, भूमि सुधार, वन सहकारिता, मलिन बस्ती का सुधान, मद्यनिषेध, कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा समाज के समस्त कल्याणरी योजनाओं का संचालित करना तथा प्रत्येक प्रकार के [illegible] कार्य करना ।

9. युवक, युवतियों को अभिनय प्रशिक्षण तत्पश्चात उनको मंच प्रदान करके उनकी प्रतिभा को विकसित कला के माध्यम से सामाजिक बुराईयों का दूर करना उद्देश्य व राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए नाटकों का मंचन कराना तद्उपरान्त धारावाहिक व चलचित्र जगत में व्यापक प्रचार, प्रसार का विकास एवं सांस्कृतिक विकास के साथ ही साथ भारतवर्ष के हर प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्णमंचन आदि संस्था का उद्देश्य होगा ।

10. कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कृषि अभियन्त्रिकी, ग्रामीण अभियन्त्रिकी, औद्योगिक अभियन्त्रिकी, पशु चिकित्सा, मानवीय चिकित्सा से सम्बन्धित [redacted] प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धी शिक्षा के प्रचार प्रसार का संचालन एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर संचालित किये जाने वाले तत्संबंधी कार्यक्रमों का विधिवत संचालन करवाना।

[illegible] नियमानुसार कार्य सौपा गया ।

क्र0सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती गोपिका देवी	पुत्री स्व0 रामस्वरूप	ग्राम परसू नंगला, तहसील–सदर, जिला–बरेली	अध्यक्षा	समाजसेवा
2.	देव नारायण यादव	श्री कल्लू राम	23ए भुलई का पूरा, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	सुरेन्द्र गंगवार	श्री रोशन लाल	133 पटेल नगर, पीलीभीत	महासचिव	कृषि
4.	वीरेन्द्र गंगवार	श्री आर0एल0 गंगवार	ग्राम अधकटा, तह0–नवाबगंज जनपद–बरेली	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5	शमीम अहमद	श्री मनोवर हुसैन	ग्राम बभनौटी, जनपद–भदोही	सदस्य	समाजसेवा
6	झंकार सिंह	स्व0 भाला सिंह	ग्राम [illegible]	सदस्य	कृषि
7.	सुमित्रा देवी	पुत्री एन0सी0 गंगवार	ग्राम ओड़ाझार, जि0–पीलीभीत	सदस्य	समाजसेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि [illegible] अधिनियम [illegible] 1860 के अन्तर्गत [illegible] का गठन [illegible] है ।

सत्य प्रतिलिपि